न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 1/2019/133सीआरपीसी

1. मूंगालाल पुत्र हनुमान
2. प्रभूदयाल पुत्र श्रीराम
3. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम
4. मंगलचंद पुत्र कानसिंह
5. सीताराम पुत्र रूड़ाराम
6. मोहनलाल पुत्र चौथूराम

समस्त जाति खटीक निवासीगण वार्ड नं0 7 बाय पुलिसथाना खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र मांगूराम जाति खटीक निवासीगण वार्ड नं0 7 बाय पुलिस थाना खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी

उपस्थिति—

1. श्री योगेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक — 29.08.2019

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वार्ड नं0 7 बाय पुलिसथाना खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के निवासी है तथा अप्रार्थी का मकान भी मोहल्ला खटीकान के वार्ड नं0 7 में आम रास्ता पर है जो मुख्य बाजार में आता है। इसी रास्ते सें कस्बे के अधिकांश लोग आवागमन करते है। अप्रार्थी ने हाल ही में अपने मकान का निर्माण कार्य किया है तथा बाहर रास्ते में काफी मात्रा में पत्थर, चूना, सीमेंट की ईंटें डालकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है तथा रास्ते में लेट्रिन बाथरूम बना लिए है। अप्रार्थी ने अपनी निर्माण सामग्री को आम रास्ता पर इस प्रकार फैला रखा है कि प्रार्थीगण व आमजन को आने जाने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण व मौहल्ले वालों ने मिलकर अप्रार्थी को उक्त सामान हटाने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने इन्कार कर दिया तथा उक्त सामग्री को पूरे रास्ते में फैला दिया। उक्त रास्ता अवरूद्ध होने सें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अतः उक्त आम रास्ते पर फैलाई गई निर्माण सामग्री को तुरन्त हटाये जाने के आदेश प्रदान करें तथा आम रास्ता आवागमन हेतु आम जनता को उपलब्ध करवाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर सें वकील श्री रेखराज पारीक हाजि आये तथा जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी पेश किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आम रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि आवेदन में वर्णित सम्पदा ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के निवासी काना पुत्र दुर्गा जाति कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 516 में अवस्थित है। खसरा नम्बर 516 आज भी काना पुत्र दुर्गा कुम्हार के नाम सें खातेदारी किस्म बारानी में दर्ज है जबकि आवेदन में प्रार्थीगण ने इस भूमि को आम रास्ता बताया है अतः आवेदन प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है।

4. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण बताते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी पेश किया गया है। रिकॉर्ड के अवलोकन सें स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि रास्ता न होकर खातेदारी भूमि है अतः प्रकरण सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner